राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी/रिफण्ड प्रार्थना पत्र संख्या– 33/2017/जयपुर

मैसर्स साबू सोडियम क्लोरों लि.,
जरिये प्रबन्धक निदेशक श्री गिरधर गोपाल साबू,
एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर .....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार .....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री विशाल शर्मा,
अभिभाषक ..... प्रार्थी की ओर से
श्रीं अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ..... अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28/02/2017

निर्णय

1. यह रिफण्ड प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री मैसर्स साबू सोडियम क्लोरों लि., जरिये प्रबन्धक निदेशक श्री गिरधर गोपाल साबू,एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर द्वारा बाबत् फ्रेन्क स्टाम्प राशि रूपये 2,12,675/– अक्षरे दो लाख बारह हजार छः सौ पिच्चहत्तर दिनांकित 28.07.2016 रिफण्ड करने हेतु अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.01.2017 को प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय सूर्या हाऊस, एल–5, बी.2, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की कम्पनी नमक के निर्माण व उसके विक्रय के कार्य में संलग्न है। श्री गिरधर गोपाल साबू प्रार्थी कम्पनी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत है कम्पनी द्वारा अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण सुविधा प्राप्त की हुई है। उक्त ऋण के संबंध में एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा उक्त ऋण को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से टेक ओवर कर वर्तमान ब्याज दर से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रार्थी कम्पनी के समक्ष रखा। प्रार्थी कम्पनी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा रखे गये उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए उक्त ऋण के सम्बन्ध में राशि रूपये 2,12,675/– अक्षरे दो लाख बारह हजार छः सौ पिच्चहत्तर दिनांकित 28.07.2016 की फ्रेकिंग एच.डी.एफ.सी. बैंक की शाखा विद्याधर नगर, जयपुर से करवा ली गई तथा बैंक के प्रोसेसिंग शुल्क का भी भुगतान कर दिया गया। फ्रेंकिंग निम्मानुसार है :–

लगातार.....2

फ्रेंकिंग क्रमांक	मूल्य (कीमत)
8616/3123775	20,000/–
8617/1624926	20,000/–
8618/2025887	20,000/–
8619/0426047	20,000/–
8620/1218969	20,000/–
8621/2019890	20,000/–
8622/0520031	20,000/–
8623/2420842	10,000/–
8624/1522934	20,000/–
8625/1823905	20,000/–
8626/1130973	16,100/–
8627/0841004	6,075/–
8630/1522934	5,00/–

कुल कीमत 2,12,675/–

उक्त के पश्चात् ऋण टेक ओवर के सम्बन्ध में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पूर्व भुगतान चार्जेज की मांग की गई जो कि राशि में अत्यधिक था तथा वर्तमान ब्याज दर में कमी करने का प्रस्ताव भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कम्पनी के समक्ष रखा गया। कम्पनी पर ऋण भार का आंकलन करते हुए कम्पनी प्रबन्ध द्वारा ऋण सुविधा को पूर्व की तरह यथावत् रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ही जारी रखने का निर्णय लिया गया। उक्त कारण से कम्पनी द्वारा करवायी गयी राशि रूपये 2,12,675/– अक्षरे दो लाख बारह हजार छः सौ पिच्चहत्तर के फ्रेंकिंग पेपर को काम में नहीं लिया जा सका। प्रार्थी ने मूल ई–स्टाम्प, शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त ई–स्टाम्प रिफण्ड दिलवाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया व अप्रार्थी राज्यपक्ष की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि ऋण टेकओवर की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पायी थी क्योंकि इससे कम्पनी को घाटा हो रहा था व जिस बैंक से ऋण लिया था उसके द्वारा ऋण में कमी करने का प्रस्ताव दे दिया था। प्रार्थी की कार्यवाही सद्भावी है अतः उक्त ई–स्टाम्प रिफण्ड दिलवाने की प्रार्थना स्वीकार की जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

२१८

लगातार.....3

7. प्रार्थी कम्पनी ने फ्रेंकिंग के माध्यम से रूपये 2,12,675/– जमा करवाये हैं। प्रार्थी कम्पनी ने यह कार्यवाही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त ऋण सुविधा को एच.डी.एफ.सी बैंक में ट्रांसफर करवाने हेतु करवाई है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत उक्त जमा ई–स्टाम्प के रिफण्ड हेतु प्रस्तुत किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 60 निम्न प्रकार है :–

60 - Allowance in case of printed forms no longer required bycorporations :-
The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf may, without limit of time, make allowance for stamped papers used for printed form of instruments by any banker or by any incorporated company or other body corporate, if for any sufficient reason such forms have ceased to be required by the said banker, company or body corporate:Provided that such authority is satisfied that the duty in respect of such stamped papers has been duly paid.

उपरोक्त विधिक प्रावधान में किसी बैंक या निगमत कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए प्ररूपों के लिये उपयोग में लाए गए स्टाम्पित कागजों के लिये छूट देने का प्रावधान है यदि किसी प्रर्याप्त कारण से प्ररूप उपर्युक्त कम्पनी या निकाय द्वारा अपेक्षित न रह गये हों। इस विधिक प्रावधान में कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं हैं। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी ने उपयोग में नहीं आने का कारण यह बताया है कि कम्पनी द्वारा अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण सुविधा प्राप्त की हुई है। उक्त ऋण के संबंध में एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा उक्त ऋण को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से टेक ओवर कर वर्तमान ब्याज दर से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रार्थी कम्पनी के समक्ष रखा। प्रार्थी कम्पनी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा रखे गये उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए उक्त ऋण के सम्बन्ध में राशि रूपये 2,12,675/– अक्षरे दो लाख बारह हजार छः सौ पिच्चहत्तर दिनांकित 28.07.2016 की फ्रेकिंग एच.डी.एफ. सी. बैंक की शाखा विद्याधर नगर, जयपुर से करवा ली गई। उक्त के पश्चात् ऋण टेक ओवर के सम्बन्ध में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पूर्व भुगतान चार्जेज की मांग की गई जो कि राशि में अत्यधिक था तथा वर्तमान ब्याज दर में कमी करने का प्रस्ताव भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कम्पनी के समक्ष रखा गया। कम्पनी पर ऋण भार का आंकलन करते हुए कम्पनी प्रबन्ध द्वारा ऋण सुविधा को पूर्व की तरह यथावत् रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ही जारी रखने का निर्णय लिया गया। उक्त कारण से कम्पनी द्वारा करवायी गयी राशि रूपये 2,12,675/– अक्षरे दो लाख बारह हजार छः सौ पिच्चहत्तर के फ्रेंकिंग पेपर को काम

२ला–

में नहीं लिया जा सका। प्रार्थी ने उक्त कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा किये गये कथन सन्तोषजनक एवं विश्वास योग्य है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत Certificate of incorporation No. 17-07830 of 1993-94 के अनुसार प्रार्थी एक निगमित कम्पनी (incorporated Company) की श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को निर्देश दिये जाते हैं कि वें जमा राशि के संबंध में सत्यापन के उपरांत नियमानुसार फ्रेंकिंग की राशि रिफण्ड की कार्यवाही करें।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य